



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1468/MP/8/2023-ESDW

दिनांक: 21.04.2023

श्री अनिल कुमार झा,  
सचिव,  
जनजाति कार्य मंत्रालय,  
भारत सरकार,  
400, बी विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली  
ई-मेल: secy-tribal@nic.in

श्री संजय कुमार,  
सचिव,  
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग,  
भारत सरकार,  
124-सी, शास्त्री भवन,  
नई दिल्ली - 110001  
ई मेल: secy.sel@nic.in

प्रो. मनीष आर. जोशी,  
सचिव,  
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,  
बहादुर शाह जफर मार्ग,  
नई दिल्ली - 110002  
ई मेल: joshmanish@gmail.com  
contact.ugc@nic.in

विषय: : मध्य प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय में अध्वनरत अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृत किए जाने के संबंध में प्रो. (डॉ) संजय तिवारी, कुलपति, मध्य प्रदेश मुक्त भोज विश्वविद्यालय, राजा भोज मार्ग, कोलार रोड, भोपाल मध्य प्रदेश - 462016 से दिनांक 09.01.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रो. (डॉ) संजय तिवारी से दिनांक 09.01.2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

(डॉ. जयंत सरोदे)  
निदेशक

प्रतिलिपि संलग्न:

1. प्रो. (डॉ) संजय तिवारी,  
कुलपति,  
मध्य प्रदेश मुक्त भोज विश्वविद्यालय,  
राजा भोज मार्ग, कोलार रोड, भोपाल  
मध्य प्रदेश - 462016
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।